

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 349/2013/भरतपुर.

मैसर्स चन्दू मोटर्स, भरतपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
घट-प्रथम, वृत्त-ए, भरतपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सी. बी. अग्रवाल, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25/08/2015

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 103/उपा-भरत/2011-2012 में पारित किये गये आदेश दिनांक 01.11.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त-ए, भरतपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2005-06 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 37 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.11.2011 सपठित आदेश दिनांक 30.03.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2005-06 का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.03.2008 को पारित किया गया था। तत्पश्चात ऑडिट द्वारा यह आक्षेप किये जाने पर कि आलौच्य अवधि में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रूपये 10,66,311/- की कमानि (आयरन) का विक्रय किया गया है, जिस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता बनती है, जबकि व्यवहारी द्वारा करमुक्त विक्रय किया गया है, जिसे कर निर्धारण आदेश में स्वीकार किया गया है। उक्त आक्षेप के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के तहत संशोधित आदेश दिनांक 30.03.2009 पारित करते हुए रूपये 10,66,311/- की कमानि (आयरन) के विक्रय पर 4 प्रतिशत की दर से कर रूपये 42,652/- एवं ब्याज रूपये 14,928/- कुल रूपये 57,580/- का आरोपण किया गया। अपीलार्थी



लगातार.....2


द्वारा उक्त आदेश को संशोधित किये जाने हेतु अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 02.11.2011 से अस्वीकार कर दिया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 01.11.2012 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश व कर निर्धारण आदेशों का विरोध करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के तहत आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर, अपीलार्थी के विरुद्ध मांग सृजित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त (2001) 30 आर.टी.जे.एस. 273; (2006) 16 टैक्स अपडेट 54; (2003) 2 आर.टी.आर. 395 एवं (2008) 21 टैक्स अपडेट 234 प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश एवं कर निर्धारण आदेशों को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि प्रकरण में कर दर का बिन्दु विवादित होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के तहत संशोधन करते हुए प्रचलित दर से करारोपण करते हुए अन्तर कर व तदनुसार ब्याज का आरोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऑडिट आक्षेप की अनुसरण में करमुक्त विक्रय पर 4 प्रतिशत की दर से कर एवं तदनुसार देय ब्याज का आरोपण अधिनियम की धारा 37 के तहत पारित आदेश दिनांक 30.03.2009 से किया गया है, जिसे संशोधित करने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 20.10.2010 का निस्तारण आदेश दिनांक 02.11.2011 से करते हुए प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित



लगातार.....3


संशोधन आदेश दिनांक 02.11.2011 पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई हेतु कोई नोटिस तामील नहीं कराया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर विवादित आदेश पारित किये जाने में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा त्रुटि की गयी है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253] में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 37/33 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग अभिलेख से प्रकट भूल की स्थिति में ही किया जा सकता है। समस्त अभिलेख का पुनर्मूल्यांकन इस धारा के अधीन अनुज्ञेय नहीं है। निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

"18. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a re appreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22.01.2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinised it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records.

19. Thus, the order passed by the Taxation Board on 22.1.2009 as also the impugned order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored."

8. इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2011) 30 टैक्स अपडेट 101 (राज.) मैसर्स केसो केमि इण्डियन लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर भिवाड़ी में अधिनियम की धारा 37 के तहत पारित आदेश के सन्दर्भ में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-



लगातार.....4

Rajasthan Sales Tax Act, 1994, sections 37-Rectification of mistakes-Classification of goods-(Polyurethane Resin)-Entry No. 91 of the Notification dated 27.3.95- While allowing the revision petition and remanding the case, the Rajasthan High Court, Jaipur Bench, Jaipur held that:-(i) The Learned Tax Board in its impugned order dated 16/8/2004 has held that question raised by the assessee in his application for rectification under Section 37 of the Act that the commodity manufactured and sold by him namely; P.U. Resin (Polyurethane Resin) was taxable only at the rate of 10% in residuary Entry and not at the rate of 16% under Entry No.91 of the Notification dated 27/3/95, which prescribes rate of tax at the rate of 16% on all types of synthetic adhesives, is a question which falls outside the ambit and scope of Section 37 of the said Act and, therefore, the Learned Deputy Commissioner (Appeals) was not justified in allowing the appeal of the assessee as well as application under Section 37 of the Act. Hence, this revision petition by the assessee Before this Court. (ii) The 'mistake' coupled with words 'apparent from the face of the record' is the gravamen of Section 37 of the Act dealing with rectification of the mistake. It is just another remedial measure provided to the assessee as well as Assessing Authority including the appellate, revisional or assessing authority to rectify the mistake which is apparent on the face of the record. (iii) The settled legal position in this regard is that even a mistake of law can be said to be a mistake apparent on the face of the record requiring rectification. The ultimate object of enacting such a provision in a taxing statute is also to achieve the object of correct assessment order, lest such mistakes would go unnoticed and buried for all times to come. Of course, these provisions have to be invoked subject to limitation prescribed in the provision but the words 'mistake apparent from the record' cannot exclude from its ambit and scope, the mistake of applying a wrong rate of tax as well. (iv) It is true that remedy by way of appeal was also available to the assessee against the impugned assessment order also, but at the same time the issue as has been raised by the assessee in the rectification application under Section 37 of the Act also deserves to be decided on merits instead of throwing out such application as falling outside the parameters of Section 37 of the Act. In the absence of such question having been decided promptly after giving an opportunity of hearing to the assessee by leading the evidence as to the nature of the commodity and the Entry which ought to have been applied for applying the correct rate of tax to the commodity in question

 लगातार.....5


namely; P.U. Resin, this question has virtually remained undecided, at least not decided properly even at the hands of Deputy Commissioner (Appeals), who touched the merit of the issue and decided the question in favour of the assessee. Therefore, while holding that this question falls within the four corners of Section 37 of the Act dealing with the rectification of mistake apparent on the face of the record, this Court is inclined to set aside all the three orders passed by the three authorities below & remand the case back to the assessing authority itself. (v) Accordingly, this revision petition is allowed and the three orders namely; order dated 13/3/2000 passed by the Assessing Authority, order dated 22/8/2000 passed by the Deputy Commissioner (Appeals) and order dated 16/8/2004 passed by the learned Tax Board are set aside and the matter is remanded back to the learned Assessing Authority, who will decide the rectification application on merits de novo after giving an opportunity of hearing to the assessee and allowing him to adduce relevant evidence in support of his contentions before him."

9. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 353 वर्कमैन, डी.टी.ई.वी. मैनेजमेंट, डी.टी.ई. में निम्न निर्णय दिया गया है :-

"The words of a statute when there is a doubt about their meaning are to be understood in the sense in which they best harmonise with the subject of the enactment and the object which the legislature has in view.

There meaning is found not so much in a strictly grammatical or etymological propriety of language nor even in its popular use, as in the subject or in the occasion on which they are used, and the object to be attained."

10. अपीलार्थी का कर निर्धारण अधिकारी ने संशोधन प्रार्थना-पत्र संशोधन के दायरे में नहीं आने के कारण, के आधार पर खारिज किया था।
11. अब प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कथित संशोधन प्रार्थना-पत्र एक वर्ष की अवधि में निस्तारित नहीं होने के आधार पर स्वीकार किया माना लिया जावेगा ?
12. कोई भी प्रार्थना-पत्र विधिक रूप से संशोधन प्रार्थना-पत्र तब होगा, जबकि उस पर धारा 37 लागू (invoke) करके उसका निस्तारण किया जा सके। माननीय उच्चतम न्यायालय के मक्कड़ प्लास्टिक के निर्णय के प्रकाश में यह निष्कर्षित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अभिलेख से प्रकट भूल का विषय नहीं था, वरन् निर्णय की त्रुटि को सुधारने का बिन्दु निहित था।



13. विधि के निर्वचन के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 353 वर्कमैन, डी.टी.ई.वी. मैनेजमेंट, डी.टी.ई., जो पैरा 9 में अंकित है, में दी गई व्यवस्था के प्रकाश में यह निष्कर्षित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अभिलेख से प्रकट भूल का विषय नहीं होने के कारण धारा 37 में एक वर्ष की अवधि में निस्तारित नहीं होने के आधार पर स्वीकार हुआ नहीं माना जा सकता है। एक वर्ष की अवधि में स्वीकार किया हुआ माने जाने के लिये आवश्यक है कि वह प्रार्थना-पत्र धारा 37 की परिधि में आने वाला विधिसम्मत प्रार्थना-पत्र हो।

14. अधिनियम की धारा 37 निम्न प्रकार है :-

**Section 37- Rectification of a mistake.- (Rajasthan Sales Tax Act, 1994)**

(1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted under the Act may rectify suo motu or otherwise any order passed by him.

Explanation.- A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgement of the Supreme court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.

- (2) No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.
- (3) Where an application under sub-section (1) is presented to the assessing authority, appellate authority or Tax Board and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.
- (4) No rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of order sought to be rectified.
- (5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard.


15. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा दौराने बहस उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य वर्तमान प्रकरण में निहित तथ्यों से भिन्न होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टान्त अपीलार्थी व्यवहारी को कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं।

 लगातार.....7

16. उक्त विवेचनानुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 30.03.2009 पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, अतः उक्त आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना के अभाव में न्यायोचित नहीं माना जा सकता एवं अपास्त किये जाने योग्य है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

17. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय (2011) 30 टैक्स अपडेट 101 (राज.) मैसर्स केसो केमि इण्डियन लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर भिवाड़ी, जो पैरा 8 में वर्णित है, के प्रकाश में अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।

18. निर्णय सुनाया गया।

  
( मनोहर पुरी )  
सदस्य